राजस्थान सरकार

कार्मिक (ग–2) विभाग

क्रमांक प11(2)का/ग–2/2016 जयपुर 13.04.2017

<u>सूचना</u>

वित (बीमा/पेंशन) विभाग के आदेश दिनांक 10.04.2017 के अनुसार राजस्थान सरकार के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के माह अप्रेल देय मई 2017 के वेतन से **<u>व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना</u>** हेतु वर्ष 2017–18 के लिए प्रति कर्मचारी 220 रूपये प्रीमियम व सेवा कर की कटौती की जानी है । अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एस आई पी एफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कर डी.डी.ओ. को अग्रेषित करना सुनिश्चित करे । उक्त प्रस्ताव पत्र अग्रेषित नही होने की स्थिति में माह अप्रेल 2017 का वेतन बनाया जाना सम्भव नही होगा । समस्त कार्मिक उक्त प्रकिया दिनांक 20.04.2017 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेगे ।

वित्तीय सलाहकार
कार्मिक (ग)विभाग

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क–1/क–4–1/क–4–2/ख–1/ख–2) विभाग
2. एसीपी कार्मिक विभाग को डीओपी की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्मिक (ग) विभाग
4. अनुभागाधिकारी कार्मिक (ग) विभाग
5. समस्त अनुभाग शासन सचिवालय
6. नोटिस बोर्ड

वित्तीय सलाहकार